कार्यालय सिविल सर्जन , सिरसा

भवन किराए पर लेने हेतू सूचना

NO:NUHM/SRS/24-25/259 दिनांक: 25.10.2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सिरसा शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चतर गढ़ पट्टी तथा थेड मोहल्ला के लिए अभी चल रहे स्वास्थ्य केंद्र के पास भवन किराये पर लिए जाने है | इच्छुक व्यक्ति या संस्था जो इन स्थान पर भवन किराये पर या मुफ्त देने के लिए इच्छुक है , वह अपने आवेदन दस्ती तौर(By Hand) पर NHM कार्यालय, सिविल अस्पताल, सिरसा में दिनांक 04.11.2024 तक सांय 04 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर जमा करवा सकते है | आवेदन पत्र एवं नियम, शर्ते किसी भी कार्यदिवस में NHM कार्यालय से लिखित अनुरोध पर प्राप्त की जा सकती है |

-sd-
सिविल सर्जन
सिरसा

नियम व शर्तें

1. बिल्डिंग हवादार एवं प्रकाशमय होनी चाहिए। बिल्डिंग में आने वाले मरीजों व स्टाफ के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्डिंग कम से कम 250 वर्ग गज होनी चाहिए।
2. बिल्डिंग चल रहे स्वास्थ्य केंद्र के आस पास होनी चाहिए।
3. सार्वजानिक सुविधा के लिए बिल्डिंग के सभी कमरे भूतल पर होने चाहिए।
4. किराये की बिल्डिंग की रंगाई पुताई , टूट फूट , मरम्मत आदि बिल्डिंग के मालिक द्वारा की जाएगी अन्यथा वार्षिक रखरखाव के लिए वार्षिक किराये का 5% काट लिया जाएगा।
5. बिल्डिंग में रिसाव, नमी आदि नहीं होनी चाहिए।
6. बिल्डिंग में थ्री फेज बिजली के कनेक्शन के साथ सही तरीके से बिजली फिटिंग्स उपलब्ध हो।
7. बिल्डिंग में बिजली एवं पानी की नियमित आपूर्ति हो मरीजों एम्बुलेंस एवं अन्य वाहन के आने जाने के लिए पर्याप्त पक्का रास्ता हो।
8. चयनित बिल्डिंग के मालिक को किराये पर बिल्डिंग देने के लिए अनुबंध पत्र देना होगा जो कि प्रारम्भ में 31.3.2025 तक के लिए मान्य होगा जिसे दोनों पक्षों की आपसी सहमती से वित्त वर्ष 2025-26 तक या इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों, जो भी पहले होगा उस अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. यह कार्यालय बिना कारण बताये किसी भी समय, किसी भी स्तर पर पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार रखता है।

25/10/24
उपसिविल सर्जन(NHM)
कृते सिविल सर्जन
सिरसा